

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख एवं बंदोबस्तु, मध्यप्रदेश

फारमा २०७/राजगढ़ा-२/वि. जा./२०१५

प्राप्तिका दिनांक ११-३-२०१५

प्रति,

कलोकटर
जिला-रामरस
मध्यप्रदेश।

विषय :- पठारियों की शिकायतों के संबंध में नियानुसार कार्यवाही
करने विषयक।

नियानुसार प्रकरण में लेता है कि प्रदेश के अधिकारी जिलों में
पठारियों की शिकायत मिलने पर अनुचिताधीय अधिकारी अथवा आपके द्वारा
जिन गोलियाँ दिए जा बिना राबड़ित को सुनवाई का अवसर दिये जिनां ही
नियन्त्रित कर दिया जाता है। अर्थात् उन्हें आपना पक्ष रखने का गोला नहीं दिया
जाता।

आप आपसे अनुरोध है कि ऐसे प्रकरणों में चर्चाकरण नियमों के
अन्तर्गत एवं संविधान के अनुचित ३११ के उपर्युक्त का पालन करने का काट
करें।


**उप आयुक्त
जाली आयुक्त भू-अभिलेख एवं बंदोबस्तु
मध्यप्रदेश**